

**अनुदान संख्या 92 - जनजातीय कार्य मंत्रालय**  
**GRANT No. 92-MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS**

	कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>		
प्रभारित-	Charged-	928,43,00	810,05,21 -118,37,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		118,37,81
स्वीकृत-	Voted-		
मूल	Original 128,01,00	128,02,00	73,78,48 -54,23,52
पूरक	Supplementary 1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		52,96,21
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>		
स्वीकृत-	Voted-	41,26,00	17,29,00 -23,97,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		23,97,00

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, अभ्यर्पित राशि (11837.81 लाख रु.) 11837.79 लाख रु. की समग्र बचत से अधिक हो गई।

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the amount surrendered (Rs.11837.81 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.11837.79 lakhs.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

	शीर्ष Head		
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"		
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments		
मू.	O.	92843.00	81005.19 81005.21 +0.02
पु.	R.	-11837.81	

(I) 95.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) “राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अधीन अनुदान” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “जनजातीय उप योजना के अंतर्गत स्कीम (प्रभारित)”- 3570.00 लाख रु. की बचत (49700.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(खा) “संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अधीन स्कीम (प्रभारित)”- 4730.00 लाख रु. की बचत (30000.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(III) “केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “लघु वन उपज के लिए राज्य जनजातीय विकास निगम को सहायता अनुदान (प्रभारित)”- 1350.00 लाख रु. की बचत (1800.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(खा) “आदिम जनजातीय समूहों का विकास (प्रभारित)”- 262.00 लाख रु. की बचत (1400.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(IV) “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की स्थापना (प्रभारित)”- 703.00 लाख रु. की बचत (1350.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(खा) “पीएमएस की स्कीम, बुक बैंक और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की योग्यता का उन्नयन (प्रभारित)”- 493.00 लाख रु. की बचत (5535.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई; और

(गा) “अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं और बालकों के लिए छात्रवास की स्कीम (प्रभारित)”- 516.08 लाख रु. की बचत (2100.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई।

(I) Provision of Rs.95.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) Under “Grants for State Plan Schemes— Grants under proviso to Article 275(1) of the Constitution” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Scheme under Tribal Sub-Plan (Charged)”- saving of Rs.3570.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs. 49700.00 lakhs);

(B) “Scheme under Proviso to Article 275(1) of the Constitution (Charged)”- saving of Rs.4730.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.30000.00 lakhs);

(III) Under “Grants for Central Plan Schemes – Welfare of Scheduled Tribes – Education”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Grants-in-aid to State Tribal Development Corporation for Minor Forest Produce (Charged)” - saving of Rs.1350.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.1800.00 lakhs);

(B) “Development of Primitive Tribal Groups (Charged)” - saving of Rs.262.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.1400.00 lakhs);

(IV) Under “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Welfare of Scheduled Tribes- Education”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Establishment of Ashram Schools in Tribal Sub-Plan Area (Charged)” - saving of Rs.703.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.1350.00 lakhs);

(B) “Scheme of PMS, Book Bank and Upgradation of Merit of Scheduled Tribes Students (Charged)” - saving of Rs.493.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.5535.00 lakhs);and

(C) “Scheme of Hostels for Scheduled Tribes Girls and Boys (Charged)” - saving of Rs.516.08 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.2100.00 lakhs).

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने और पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 96.60 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत विनियोग का 28 प्रतिशत थी।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings under the above seven heads were due to cut imposed by Ministry of Finance at revised estimates stage and non-receipt of complete proposals.

(V) Under one head saving of Rs.96.60 lakhs occurred constituting 28 percent of the sanctioned appropriation.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads :-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat-Social Services			
मू.	O.	474.00		
पु.	R.	-112.01	361.99	370.76 +8.77
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes			
मू.	O.	9795.00		
पू.	S.	1.00	5543.60	5407.52 -136.08
पु.	R.	-4252.40		
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	2525.00	..	.. ..
पु.	R.	-2525.00		
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
पु.	R.	1600.00	1600.00	1600.00 ..

(I) 2696.00 लाख रु. का प्रावधान (दिसंबर, 2003 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 2525.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2552"- "पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास - पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम में व्यय किए जाने के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोजन के कारण लेखाबद्ध किए गए थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - जनजातीय कार्य मंत्रालय"- 103.24 लाख रु. की बचत (474.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2225" - "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "निर्देशन तथा प्रशासन - अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग"- 183.47 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(खा) "शिक्षा - आदिम जनजाति समूहों का विकास"- 125.00 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "अन्य व्यय"-

(क) "जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं में साक्षरता का विकास करने के लिए अल्प साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षिक परिसर"- 225.18 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण"- 281.99 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "ग्राम अनाज बैंक"- 2892.76 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) "कोचिंग (अनुशिक्षण) और संबद्ध स्कीम और अनुकरणीय सेवाओं के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित

(I) Provision of Rs.2696.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in December, 2003) remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.2525.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Development of North Eastern Area - Lumpsum Provision for Schemes for benefit of North Eastern Region and Sikkim" - due to re-appropriation of funds to functional heads for incurring of expenditure in scheme for benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Major Head "2251" - "Secretariat - Ministry of Tribal Affairs" - saving of Rs.103.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.474.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(III) Under Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Tribes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission" - saving of Rs.183.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(B) "Education - Development of Primitive Tribes Groups" - saving of Rs.125.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs);

(C) "Other Expenditure" -

(a) "Education Complex in low Literacy Pockets for Development of Women Literacy in Tribal Areas" - saving of Rs.225.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs);

(b) "Vocational Training in Tribal Areas" - saving of Rs.281.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs);

(c) "Village Grain Banks" - saving of Rs.2892.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs); and

(d) "Grants-in-aid to NGOs for STs including Coaching and Allied Scheme and Award

जनजातियों के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान'- 359.70 लाख रु. की बचत (3050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने तथा पूरे प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत 123.92 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत और 68 प्रतिशत थी।

3. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा - पीएमएस की स्कीम, बुक बैंक और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की योग्यता का उन्नयन (स्वीकृत)" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - 1600.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) मुख्य शीर्ष "2552" से निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित राज्यों तथा सिक्किम को अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराए जाने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

for Exemplary Service" - saving of Rs.359.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3050.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to cut imposed by Ministry of Finance at revised estimates stage and non-receipt of complete proposals.

(IV) Under two heads savings of Rs.123.92 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 23 percent and 68 percent of the sanctioned provision.

3. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3601"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Welfare of Scheduled Tribes - Education - Scheme of PMS, Book Bank and Upgradation of Merit of ST Students (Voted)" - excess of Rs.1600.00 lakhs (against nil provision) was due to providing additional grants to states located in North Eastern Region and Sikkim by re-appropriation of funds from Major Head "2552".

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
------------------------------	--	-----------------

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष Head	
मुख्य शीर्ष "4225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4225" Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes
मू.	O. 3751.00
पु.	R. -2022.00

1729.00	1729.00	..
---------	---------	----

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर	Capital Outlay on North			
पूँजीगत परिव्यय	Eastern Areas			
मू.	O.	375.00		
पु.	R.	-375.00		

(I) 376.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 375.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम के लिए एकमुश्त प्रावधान" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित व्यय किए जाने के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आंशिक उपयोग किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष "4225" - "सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता" के अंतर्गत 2021.00 लाख रु. की बचत (3750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.376.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.375.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "Other Expenditure - Lumpsum provision for scheme for the benefit of North Eastern States and Sikkim" - due to utilisation by re-appropriation of part funds for incurring of expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim from the concerned functional heads and cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(II) Under Major Head "4225" - "General-Investment in Public Sector and Other Undertakings-Support to National/State Scheduled Tribes Finance and Development Corporation" - saving of Rs.2021.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3750.00 lakhs) was due to cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.